बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि २ मार्च १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने में बृहस्पतिवार तिथि २ मार्च १९५० को ११ बजे पुर्वाह्न में उपाध्यक्ष श्री देवशरण सिंह के सभापतित्व में हुआ।

माननीय श्री अब्दुल कयूम अंसारी : माननीय सैयद अमीन अहमद की जितनी Speeches होती हैं वे Vague होती हैं। इसी तरह इसको भी Vague ही समझते हैं।

श्री सैयद अमीन अहमद : अफसोस है कि हकदार को रुपया नहीं देना relevant है। और देना irrelevant है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसको देखने से मालूम होता है कि वह इसको पेश नहीं कर सकते क्योंकि यह नियमानुकूल ही है।

कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करना चाहते वे उठकर कह दें कि हम इसको पेश नहीं करेंगे।

चौतरवा डोम सेटलमेण्ट में अव्यवस्था।
Mismanagement in the Chautarwa Dom settlement

Mr. Saiyid Amin Ahmed : Sir I beg to move that the provision of Rs 11320/- for Scheduled Castes welfare Grant-in aid be reduced by Re- 1/-

जनाब सदर ये चौतरवा डोम सेटलमेण्ट के बारे में है जिसके मुतल्लिक इस house के मेम्बरों ने कई बार अपनी राय पेश की है। मगर हमारे दोस्त ने अब तक इसको नहीं उठाया है। इस मौजूदा दौर में जब की २६ जनवरी को हमारा मुल्क आजाद हो गया तो भी अफसोस है कि उनकी हालत ज्यों की त्यों रही। मालूम होता है कि यहां की हुकूमत यहां की मेम्बरों की राय की कोई वक्त अब नहीं रखती है। अगर गवर्नमेण्ट को इसका ख्याल रहता तो मुमकीन नहीं को क्रिमनल ट्राइबस एक्ट अब तक कायम रहता।

उपाध्यक्ष : पहले आप देख लीजिये कि जो आप तकरीर कर रहे हैं उसका प्रस्तुत विषय से संबंध है या नहीं। जिस चीज के मुतल्लिक जो Demand हो उसी पर बोलना चाहिये।

श्री सैयद अमीन अहमद : Criminal Tribes Act के मुतल्लिक हम कह रहे हैं कि अब तक नहीं हटाया गया।

उपाध्यक्ष : इसको आप कैसे कह सकते हैं ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी : यह चौतरवा डोम सेटलमेण्ट के बारे में जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है। वो यहां पर नहीं कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष : हम समझते हैं कि यह प्रस्ताव आ ही नहीं सकता है। इसलिये इसको हाउस में रखने की आवश्यकता नहीं है।

दलित जाति कल्याण छात्रवृत्ति।
Scheduled-castes welfare Scholarships.

माननीय सदस्य ने भाषण को संशोधित नहीं किया है।

श्री जमुना राम : मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि दलित जाति कल्याण छात्रवृत्ति के लिए ६०१२०) रु० की माँग में से १ रु० घटाया जाय। वितरण व्यवस्था की असन्तोषजनक स्थिति पर विचार करने के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस कटौती के प्रस्ताव को सिर्फ इस मकशद से रखा है कि सरकार का ध्यान इस बात की ओर जाय कि हरिजनों की छात्रवृत्ति के लिए जो रकम मुकर्रर है उससे उनको सन्तोष नहीं है क्योंकि उनको बहुत-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली दिक्कत तो यह है कि उनको इस बात की खबर ही नहीं दी जाती कि कब दर्खास्त देना है अगर खबर भी मिली और दर्खास्त दिया तो Head master उनके दर्खास्त को Recommend करके आगे नहीं बढ़ाते जिससे की दरखास्त पर अधिकारियों को विचार करने का मौका मिले। और अगर किसी के दरखास्त पर recomendation हुई भी तो कमेटी के सामने बहुत-सी दिक्कतें आ जाती है और बावजूद उन दिक्कतों के अगर छात्रवृत्ति मंजूर हुई तो समय पर न मिलने के कारण बहुत से विद्यार्थियों को अपने पढ़ाईका सिलसिला रोक देना पड़ता है। इसलिए जो भी रुपया देना हो उसको मुनासिब तरीके से काम में लाया जाय और welfare dept. को ताकीत किया जाय कि जो भी कमेटी वितरण की हो वह जिन छात्रोंकी सिफारिश करे उनको समय के अन्दर छात्रवृत्ति मिल जानी चाहिये। बहुत से मौकेपर यह देखा गया है कि हरिजन छात्रोंको पूरी छात्रवृत्ति मंजूर हो जानेवर भी उनको पूरी वृत्ति नहीं मिलती। फिर भी जो मिलती है वह समय के अन्दर नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति हरिजनोंको इसलिए मिलती है कि वह कम पढ़े लिखे है और गरीब हैं तो मेरा निवेदन यही है कि जिस नीति को सरकार इस विषय में कायम करे उसका पालन होता है या नहीं इसका देख-भाल करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री शक्तिकुमार : प्रमुख महोदय, अभी हमारे जमुना बाबू ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करते हुए दो तीन बातों को बतला देना चाहता हूँ। अभी जो प्रश्न हरिजन विद्यार्थियों का है इसको मैं मुनासिब और जरूरी समता हूँ। इसलिए मैं माननीय हरिजन कल्याण-मन्त्री का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं।